



भारत का संविधान उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न
समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने
वाली मंजूरत बसाने के लिए हस्तक्षेप होकर अपनी
इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949
ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् २० हजार
छह विक्रमी) को एतद्वारा संविधान को अंगीकृत,
अतिरिचित और अंतिम करते हैं।

भारत के संविधान की उद्देशिका
संविधान सभा के अध्यक्ष
जवाहर लाल नेहरू
प्रतिष्ठापित 26 नवम्बर 1949
संविधान सभा के अध्यक्ष
जवाहर लाल नेहरू
प्रतिष्ठापित 26 नवम्बर 1949